कार्यालय उपसंचालक समाज कल्याण विभाग जिला सरगुजा छ0ग0

विज्ञापन

पत्र क्रमांक / 1018 / स0क0 / 2018 अम्बिकापुर, दिनांक 10 / 08 / 2018

रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)

समाज कल्याण विभाग जिला–सरगुजा द्वारा मानसिक मंद व बहु दिव्यांग 18 वर्ष से अधिक दिव्यांग हितग्राहियों के लिए संचालित कार्यक्रम "घरौंदा" के संचालन हेतु रूचि रखने वाले संस्थाओं। फर्मो (शासकीय / अर्द्धशासकीय पंजीकृत स्वंय सेवी संस्थाओं) से उप संचालक समाज कल्याण कार्यालय अंबिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.) के पते पर दिनांक 25 / 08 / 2018 तक अनुदान प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है। इच्छूक संस्था / फर्म जिला–सरगुजा की अधिकारीक वेबसाईड www.surguja.gov.in पर उक्त "रूचि की अभिव्यक्ति" पर आवेदन आमंत्रित करने हेतु जानकारी देख सकते है।

संलग्न प्रेस विज्ञप्ति

उप संचालक
समाज कल्याण विभाग
जिला सरगुजा (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक / 1019 / स0क0 / 2018 अम्बिकापुर, दिनांक 10 / 08 / 2018

प्रतिलिपि:–

4. संचालक समाज कल्याण विभाग संचालनालय, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर, जिला–सरगुजा को सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत–सरगुजा को सूचनार्थ।
7. सहायक संचालक जनसम्पर्क विभाग जिला–सरगुजा को सूचनार्थ पत्र मे प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।
8. N.I.C. प्रभारी सरगुजा, जिला कार्यालय को सूचनार्थ कर लेख है कि इसे जिले की वेबसाईड पर अपलोड करने का कष्ट करेंगे।

उप संचालक
समाज कल्याण विभाग
जिला सरगुजा (छ.ग.)

संक्षिप्त प्रारूप

कार्यालय उपसंचालक समाज कल्याण विभाग जिला सरगुजा छ0ग0

पत्र क्रमांक /   /स0क0/2018   अम्बिकापुर, दिनांक   /08/2018

रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)

जिला सरगुजा, समाज कल्याण विभाग द्वारा मानसिक मंद व बहु दिव्यांग 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग हितग्राहि महिला/पुरूष हितग्राहियों के लिए आजीवन आश्रय प्रदान करने हेतु संचालित कार्यक्रम **"घरौदा आश्रय गृह"** के संचालन किये जाने हेतु "रूचि की अभिव्यक्ति" EOI की शर्ते प्रपत्र दिनांक 08/08/2018 से दिनांक 25/08/2018 समय 03:00 बजे तक शासकीय/शासन से संबंधित निकायों में दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाले न्यूनतम 5 वर्षो के अनुभवी फर्म/संस्थाओं/फर्मो शासकीय/अर्द्धशासकीय/पंजीकृत स्वयं सेवी स्वैच्छिक संस्थाओं (NGO's) से कार्यालयीन समय में निविदा शर्तो पर चयन किये जाने हेतु दिनांक 25/08/2018 तक नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव दोपहर 03 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

विस्तृत जानकारी हेतु जिले की वेबसाइट www.surguja.gov.in अथवा कार्यालय के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है।

उप संचालक
समाज कल्याण विभाग
जिला सरगुजा (छ.ग.)

कार्यालय उपसंचालक समाज कल्याण विभाग जिला सरगुजा छ0ग0

रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)

आवेदन की अंतिम तिथि 25/08/2018 समय दोपहर 03:00 बजे तक

पत्र क्रमांक/ /स0क0/2018 अम्बिकापुर दिनांक 08/08/2018

जिला सरगुजा, समाज कल्याण विभाग द्वारा मानसिक मंद व बहु दिव्यांग 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग हितग्राहियों (महिला/पुरूष) के लिए आजीवन आश्रय प्रदान करने हेतु संचालित कार्यक्रम "घरौदा आश्रय गृह" के संचालन हेतु **"रूचि की अभिव्यक्ति"** EOI की शर्ते प्रपत्र दिनांक 08/08/2018 से दिनांक 25/08/2018 समय 03:00 बजे तक शासकीय/शासन से संबंधित निकायों में दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाले न्यूनतम 5 वर्षो के अनुभवी फर्म/संस्थाओं (शासकीय/अर्द्धशासकीय/पंजीकृत स्वयं सेवी स्वैच्छिक संस्थाओं NGO`s) से कार्यालयीन समय में निविदा शर्तो पर चयन किये जाने हेतु दिनांक 25/08/2018 तक नियमानुसार निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है।

रूचि की अभिव्यक्ति में भाग लेने वाली संस्थाओं हेतु अर्हताऐं

1. संस्था/फर्म के पास समाज कल्याण विभाग से जीवित विभागीय मान्यता होना अनिवार्य है।
2. संस्था/फर्म को शासकीय/शासन से संबंधित निकाओं/स्वैच्छिक रूप से दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में उचित मानकों में कार्य करने का न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है।
3. निविदाकार संस्था/फर्म को विगत 3 वर्षो का सी.ए. द्वारा ऑडिट रिर्पोट एंव आयकर गणना पत्रक (ITR) प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

चयन का मापदण्ड

4. समाज कल्याण विभाग से विभागीय मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं/फर्म को चयन में प्राथमिकता दी जावेगी।
5. शासकीय/शासन से संबंधित निकायों/स्वैच्छिक रूप से दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का न्यूनतम 5 वर्षो के अनुभव प्राप्त संस्थाओं/ फर्मो (शासकीय/ अर्द्धशासकीय/ पंजीकृत स्वयं सेवी स्वैच्छिक संस्थाओं NGO`s) को चयन में प्राथमिकता।
6. निविदाकार संस्था/फर्म के पास उचित मानकों में मानसिक दिव्यांग /बहु दिव्यांग कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का पूर्व अनुभव होना आवश्यक है।
7. निविदाकार संस्था/फर्म के पास दिव्यांग हितग्राहियों को मोबलाईजेशन करने की क्षमता होना आवश्यक है।
8. निविदाकार संस्था/फर्म के पास संबंधित क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों की उपलब्धता होना जो कि पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो अनिवार्य है। योग्यता एंव आर्हता प्रमाण पत्र संलग्न करे। निविदाकार संस्था/फर्म को चयन होने की दशा कार्यक्रम संचालन हेतु आवश्यक अनुदान राशि प्राप्त करने के अनुदान का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में उप संचालक समाज कल्याण विभाग जिला-सरगुजा में जमा करना अनिवार्य होगा जो कि जिला कलेक्टर महोदया के अनुशंसा पश्चात् संचालक समाज कल्याण

विभाग संचालनालय रायपुर को अनुदान स्वीकृति हेतु भेजा जावेगा। अनुदान राशि प्रदाय करने का निर्णय शासन स्तर पर किया जाता है। जिसमें जिले का कोई हस्तक्षेप नहीं होता।

9. निविदा 25.08.2018 को शाम को 04 बजे जिला पंचायत सभा कक्ष में चयन समिति के समक्ष खोली जायेगी,सभी पात्र निविदा कर्ता अपनी फर्म के कार्य प्रणाली/कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण चयन समिति चयन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

10. चयन हेतू संस्था/फर्म के प्रस्तुतीकरण पर 30 प्रतिशत अंक व संस्था द्वारा संलग्न किये गए दस्तावेजों पर 70 प्रतिशत अंक निर्धारित किये गये है, संस्था का चयन इसी आधार पर प्राप्त अंको के प्रतिशत के आधार पर किया जावेगा।

सुरक्षा निधि

संस्था/फर्म द्वारा राशि रूपये 50000.00(शब्दों में – पचास हजार रूपये) सुरक्षा निधि बैंक ड्रॉफ्ट "उप संचालक समाज कल्याण विभाग अम्बिकापुर जिला–सरगुजा के पक्ष में देय होगा। चयनित फर्म की सुरक्ष निधी कार्य के समापन पर वापस किया जावेगा।

सामान्य शर्ते एवं दायित्व

1. चयनित संस्था को उप संचालक समाज कल्याण विभाग जिला सरगुजा में कार्यक्रम संचालन हेतु अनुदान प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
2. चयनित संस्था के पास समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदाय कि जाने वाली विभागीय मान्यता/विभागीय पंजीयन होना अनिवार्य है।
3. चयनित संस्था के पास कार्यक्रम संचालन हेतु पर्याप्त भवन व कुशल स्टॉफ (कार्यक्रम संचालन हेतू)होना आवश्यक होगा।
4. चयनित संस्था घरौंदा आश्रय गृह के समस्त लिपिकीय कार्य, अनुशासन व्यवस्था, हितग्राहियों की उपस्थिति, परिसर की साफ सफाई सुरक्षा,स्वास्थ एवं पेयजल की व्यवस्था का दायित्व होगा।
5. संस्था द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम संचालन किया जाना अनिवार्य होगा, किसी भी समय यह पाया जाता है। कि संस्था के द्वारा कार्यक्रम संचालन में लापरवाही की जा रही है तो मान्यता समाप्त कर पूर्व में दिये गए अनुदान की ऋणात्मक वसूली की कार्यवाही कि जावेगी।
6. हितग्राहियों के मोबलाईजेशन कर आवश्यक प्रशिक्षण प्रदाय करने की पूर्ण जिम्मेदारी संस्था की ही होगी।
7. जिले में कार्यरत स्वैच्छि स्वयं सेवी संस्था (NGO) को चयन में प्राथमिकता दिया जायेगा।
8. कार्यक्रम का संचालन समाज कल्याण विभाग से तय किए गए उच्च गुणवत्तपूर्ण मानकों के आधार पर किया जावेगा।
9. यदि शासकीय संस्था में कार्य का पूर्व का कोई अनुभव हो तो उन्हें चयन में प्राथमिक्ता दी जायेगी। संबंधित शासकीय विभाग से उक्ताशय का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

संस्था के चयन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण

चयन नियमों के आधार पर प्राप्त आवेदनों को पात्र/अपात्र निविदा प्रदाताओं सूचीबद्ध कर दिया जायेगा। तत्पश्चात चयन हेतु गठित चयन समिति द्वारा सभी पात्र आवेदनों का चयन मापदण्डों के आधार पर मूल्यांकन करके योग्य निविदाकार संस्था को सूचीबद्ध किया जावेगा। इस

संबंध में संबंधीत क्षेत्र में कार्य का अनुभव/गुणवत्ता/नियोजन की जानकारी आदि मापदण्डों को प्राथमिकता दी जावेगी।

शुल्क भुगतान

कार्यक्रम संचालन हेतु अनुदान कि राशि संचालक समाज कल्याण संचालनालय रायपुर द्वारा देय होगा जिसके लिए चयन पश्चात् अनुदान प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में कार्यालय उप संचालक समाज कल्याण विभाग जिला–सरगुजा छत्तीसगढ़ में जमा करना अनिवार्य होगा।

आवेदन की प्रक्रिया

1. आवेदन का प्रारूप पूर्णत निःशुल्क कार्यालयीन समय में जिला कार्यालय, समाज कल्याण विभाग अथवा जिले की वेबसाइट www.surguja.gov.in से प्राप्त कर सकते है।
2. निविदाकार संस्था द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरा जाना अनिवार्य होगा।
3. आवेदन निर्धारित प्रारूप में निर्धानित निधि एवं निर्धारित समय में स्वीकर किये जावेंगे। निर्धारित समय पश्चात् प्राप्त आवेदनों को कार्यालय द्वारा स्वीकार नही किया जावेगा।
4. आवेदन लिफाफा के ऊपर "घरौदा आश्रय गृह" संचालन हेतु आवेदन एवं आवेदित संस्था का नाम एवं पूर्ण पता मोबाईल नम्बर सहित अंकित किया जावेगा।
5. आवेदन पत्र निर्धारित प्रतिभूति राशि के बैंक ड्रॉफ्ट सहित लिफाफे में दिया जावेगा।
6. आवेदन प्रपत्र बंद लिफाफे में निर्धारित तिथि/निर्धारित समय तक कार्यालय उपसंचालक समाज कल्याण विभाग, अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.) 497001 में जमा करना होगा। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

उप संचालक
समाज कल्याण विभाग
जिला सरगुजा (छ.ग.)

संबंध में संबंधीत क्षेत्र में कार्य का अनुभव/गुणवत्ता/नियोजन की जानकारी आदि मापदण्डों को प्राथमिकता दी जावेगी।

शुल्क भुगतान

कार्यक्रम संचालन हेतु अनुदान कि राशि संचालक समाज कल्याण संचालनालय रायपुर द्वारा देय होगा जिसके लिए चयन पश्चात् अनुदान प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में कार्यालय उप संचालक समाज कल्याण विभाग जिला–सरगुजा छत्तीसगढ़ में जमा करना अनिवार्य होगा।

आवेदन की प्रक्रिया

1. आवेदन का प्रारूप पूर्णत निःशुल्क कार्यालयीन समय में जिला कार्यालय, समाज कल्याण विभाग अथवा जिले की वेबसाइट www.surguja.gov.in से प्राप्त कर सकते है।
2. निविदाकार संस्था द्वारा आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरा जाना अनिवार्य होगा।
3. आवेदन निर्धारित प्रारूप में निर्धानित निधि एवं निर्धारित समय में स्वीकर किये जावेंगे। निर्धारित समय पश्चात् प्राप्त आवेदनों को कार्यालय द्वारा स्वीकार नही किया जावेगा।
4. आवेदन लिफाफा के ऊपर "घरौंदा आश्रय गृह" संचालन हेतु आवेदन एवं आवेदित संस्था का नाम एवं पूर्ण पता मोबाईल नम्बर सहित अंकित किया जावेगा।
5. आवेदन पत्र निर्धारित प्रतिभूति राशि के बैंक ड्रॉफ्ट सहित लिफाफे में दिया जावेगा।
6. आवेदन प्रपत्र बंद लिफाफे में निर्धारित तिथि/निर्धारित समय तक कार्यालय उपसंचालक समाज कल्याण विभाग, अम्बिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.) 497001 में जमा करना होगा। निर्धारित समय के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

उप संचालक
समाज कल्याण विभाग
जिला सरगुजा (छ.ग.)

कार्यालय उपसंचालक समाज कल्याण विभाग जिला सरगुजा छ0ग0

रूचि की अभिव्यक्ति (EOI)

आवेदन

"घरौदा आश्रय गृह" के संचालन किये जाने हेतु।

1. संस्था का नाम (पूर्ण पता एवं दूरभाष एवं फैक्स नंबर ईमेल सहित) :..
2. संस्था का नाम विभागीय पंजीयन क्रमांक :..
   (यदि संस्थ समाज कल्याण विभाग से पंजीकृत है तो सभी की :..
   जानकारी संस्था प्रमुख के नाम पता, दूरभाष नंबर की जानकारी :..
   दवें) :..
3. संस्था की नियमावली :..
4. संस्था का कार्यक्षेत्र :जिला–सरगुजा / सम्पूर्ण छत्तीसगढ प्रदेश
5. संस्था किन–किन क्षेत्रों में कार्य किये :..
   जाने हेतु पंजीकृत है उल्लेखित करें। :..
6. द्विव्यांग हितग्राहीयों को मोबलाईजेशन की प्रक्रिया :..
   द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अतिरिक्त :..
   सुविधाओं की जानकारी। :..
7. कार्यक्रम संचालन हेतु संस्था के पास भवन :..
   उपलब्ध है। यदि है तो विवरण दें। :..
8. संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधा :..
9. संस्था द्वारा हितग्राहीयों को दिए जाने वाली :..
   अतिरिक्त सुविधाओं की जानकारी :..
10. संस्था का अंकेक्षण प्रतिवेदन (विगत 3 वर्ष का) :..
11. संस्था का TIN/PAN(विगत 3 वर्षो का) :..
12. सुरक्षा निधि की राशि बैंक ड्राफ्ट क्रमांक :.................................... दिनांक ....
    बैंक का नाम :..
13. अन्य विवरण :..
    :..

टीपः– आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज सत्यापित कर संलग्न करें।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)

<u>घोषण पत्र</u>

एतद् द्वारा संस्था यह घोषणा करता/करती है कि उपरोक्त आवेदन पत्र में प्रस्तुत समस्त जानकारी सत्य एवं सही है। निविदाकार चयनित की स्थिति में समस्त निर्देशों का पालन संस्था करेंगी।

स्थान ....

दिनांक ....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
(पदमुद्रा सहित)